राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (उद्योग), भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांकःएफ.1( )/सर्वा एवं औ.बैठक/2007/5442–45 दिनांक 21.09.2007

–:: कार्यालय–आदेश ::–

दिनांकः 31.08.2007 को आयोजित जिला स्तरीय औद्योगिक समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भीलवाड़ा जिले में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से लैंड बैंक हेतु आरक्षित भूमि, भीलवाड़ा शहर के परीधिय क्षैत्र एवं उसके बाहर स्थितं औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की कार्यवाही को ओर अधिक पारदर्शी बनाने के लिये निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

1. सर्वप्रथम जिला कलेक्टर कार्यालय में स्थित एन.आई.सी. में कलेक्टर भीलवाड़ा की वेबसाईट के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र की एक पृथक से Section खोली जावें, जिसमें जिले के अविकसित औद्योगिक क्षैत्रों, औद्योगिक लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित भूमि एवं पेराफेरी एरिया एवं उसके बाहर स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का पूर्ण विवरण मय नक्शे के उपलब्ध करवाया जाकर नियमित रूप से शेष/रिक्त भूमि/भूखण्डों का विवरण संकलित किया जावें ताकि इच्छुक उद्यमी वेबसाईट के जरिये रिक्त औद्योगिक भूमि/भूखण्डों की जानकारी प्राप्त कर अपना आवेदन–पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय में स्थित एकल खिड़की में जमा करा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगें । आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित चैक लिस्ट भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावें ताकि उद्यमी द्वारा एक ही बार में पूर्ण आवेदन–पत्र चैक लिस्ट के अनुसार तैयार कर एकल खिड़की में प्रस्तुत कर सकें।

2. अविकसित औद्योगिक क्षैत्रों, औद्योगिक लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित भूमि एवं पेराफेरी एरिया एवं उसके बाहर स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के लिये यदि कोई आवेदन–पत्र प्राप्त होता है तो उस भूखण्ड/औद्योगिक भूमि के विवरण के साथ–साथ उस औद्योगिक क्षैत्र/औद्योगिक भूमि के रिक्त भूखण्ड की जानकारी के संबंध में समाचार पत्रों (एक राज्य/एक जिला स्तरीय) में विवरण प्रकाशित करना होगा जिसमें अन्य इच्छुक उद्यमियों को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिये 15 दिन का समय प्रदान किया जाय । इस विज्ञापन व्यय का भुगतान संबंधित आवेदक को करना होगा ।

3. अविकसित औद्योगिक क्षैत्रों/औद्योगिक लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित भूमि के ले–आउट प्लान/नक्शे बनाने के लिये एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिये किसी तरह का राजकीय बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन करने वाले उद्यमी को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रति आवेदन के साथ 5000/– रूपये का शुल्क सिक्युरिटी मनी के रूप में जमा कराना होगा, जो पुनः लौटाये जाने योग्य नहीं होगा । यह शुल्क जरिये बैंक ड्राफ्ट के उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, भीलवाड़ा के नाम से आवेदन पत्र के साथ एकल खिड़की में प्रस्तुत करना होगा ।

4. एकल खिड़की में प्राप्त आवेदनों को अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) जो कि प्रभारी अधिकारी राजस्व हैं को प्रस्तुत किये जायेगें, जो अग्रिम कार्यवाही हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को भिजवाये जायेंगें । महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र यदि आवेदन चैक लिस्ट के अनुसार पूर्ण नहीं हैं तो सभी कमियां एक ही बार में पूर्ण करने हेतु एक सप्ताह का नोटिस संबंधित आवेदनकर्ता को जारी करेंगें।

लगातार.......2

5. प्राप्त आवेदन–पत्र जो कि चैक लिस्ट के अनुसार पूर्ण हो उन्हें अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) प्रभारी अधिकारी राजस्व के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को प्रत्येक माह की 15 तारीख के पूर्व प्रस्तुत किये जायेगें । भूखण्ड/औद्योगिक भूमि के विवरण के साथ–साथ उस औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भूमि के अन्य रिक्त भूखण्डों की जानकारी के संबंध में समाचार पत्रों (एक राज्य/एक जिला स्तरीय) में विवरण प्रकाशित करना होगा जिसमें अन्य इच्छुक उद्यमियों को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिये 15 दिन का समय प्रदान किया जाये । यदि कोई अन्य आवेदन प्राप्त नही होता है तो ऐसे आवेदन पर आवंटन की कार्यवाही प्रचलित नियमों के तहत की जावेगी । लेकिन यदि किसी भूखण्ड/ औद्योगिक भूमि के लिये एक से अधिक आवेदन–पत्र प्राप्त होते है तो ऐसे मामलों में प्रत्येह माह आयोजित जिला स्तरीय औद्योगिक समिति की बैठक में आवेदित उद्यमियों के सामने लौटरी द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावें ।

6. अविकसित औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित भूमि एवं पेराफेरी एरिया एवं उसके बाहर स्थित औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के मूल्य निर्धारण बाबत् जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र एवं राष्ट्रीय/राजमार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक भूमि के लिये डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित दर से डेढ़ गुना राशि वसूली बाबत् एवं एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में खुली बोली द्वारा आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव राजस्व विभाग, जयपुर को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया । जब तक राजस्व विभाग जयपुर से इस बाबत मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है, तब तक प्रचलित नियमों के तहत ही औद्योगिक भूखण्ड/भूमि की दर वसूल की जावें ।

7. बैठक दिनांक 31.8.2007 तक प्राप्त एवं विचाराधीन आवेदन पत्रों का निस्तारण भी उक्त निर्णय के अधीन रहेगा और ऐसी इकाइयों को औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के विवरण वेबसाईट पर लांच करने के पश्चात् निर्धारित सिक्युरिटी मनी के साथ एकल खिड़की में पुनः आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

उक्त कार्ययोजना का कियान्वयन 2 अक्टूबर, 2007 तक किया जाकर 2 अक्टूबर, 2007 के बाद से आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें।

ह0/–
जिला कलेक्टर (उद्योग)
भीलवाड़ा

कमांकःएफ.1( )/सर्वा एवं औ.बैठक/2007/ दिनांकः————————

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर ।
2. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर (राजस्व) महोदय, भीलवाड़ा ।
3. ————————————————————————————
————————————————————————————

ह0/–
महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT (MSMED) ACT, 2006

Classification of Enterprises

The earlier concept of 'Industries' has been changed to 'Enterprises'

(i) Enterprises engaged in the manufacture/production of goods pertaining to any industry ; &

(ii) Enterprises engaged in providing/rendering of services.

1. Manufacturing enterprises have been defined in terms of investment in plant and machinery (excluding land & buildings) and further classified into :

-	Micro Enterprises	:	investment upto Rs. 25 Lakh
-	Small Enterprises	:	investment above Rs. 25 Lakh & upto Rs. 5 Crore
-	Medium Enterprises	:	Investment above Rs. 5 Crore & upto Rs. 10 Crore

2. Service enterprises have been defined in terms of their investment in equipment (excluding land & buildings) and further classified into :

-	Micro Enterprises	:	investment upto Rs. 10 Lakh
-	Small Enterprises	:	investment above Rs. 10 Lakh & upto Rs. 2 Crore
-	Medium Enterprises	:	Investment above Rs. 2 Crore & upto Rs. 5 Crore